B - III
L - 33
I. Polity

द्वितीय वाचन

• ब्रिटेन में सभी विधेयक संसदीय समितियों को सौंपे जाते हैं जबकि भारत में स्पीकर का यह विशेषाधिकार है कि विधेयकों को समित को सौंपा जाये अथवा नहीं और आलोचक यह कहते हैं कि 16वीं 17वीं लोकसभा में ज्यादातर विधेयकों को संसदीय समित को नहीं दिया गया।

संसद की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए यह भी सुझाव दिया जाता है कि सदन में ध्वनि-मत से मतदान के बजाय मत विभाजन होना चाहिए।

तृतीय वाचन

• तीसरा वाचन महज औपचारिकता है जहाँ विधेयक को सदन से पारित किया जाता है और तीसरे वाचन में चर्चा का प्रावधान नहीं है और न ही संशोधन हो सकता है लेकिन तीसरे वाचन में भी विधेयक पर मतदान होता है।

विधेयक दूसरे सदन में :

• संसदीय शासन में चर्चा और परिचर्चा के द्वारा विधि का निर्माण होता है और दूसरा सदन पहले सदन के द्वारा पारित किसी विधेयक पर बारीकी से निगरानी रखता है और लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्य सभा की भूमिका

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner

सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि -

(i) राज्य सभा वरिष्ठों का सदन है और इसमें सदस्य संख्या भी कम होती है। इसलिए किसी विधेयक पर विस्तृत और व्यापक चर्चा सम्भव हो पाती है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा संघीय व्यवस्था में राज्यों के हितों की भी रक्षा करता है। लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्य सभा भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय वाचन के माध्यम से विचार करती है।

राज्यसभा स्तेपनी के रूप में अथवा प्रभावी रूप में :-

- यदि लोकसभा और राज्य सभा में एक ही दल का प्रभाव हो तो राज्यसभा की भूमिका द्वितीय बन जाती है। और संविधान लागू होने के प्रथम दशक में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कांग्रेस का प्रभुत्व था।

- यदि लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त है उसे राज्य-सभा में नहीं है, तो दोनों सदनों के बीच टकराव की स्थिति ज्यादा उत्पन्न होती है और राज्यसभा की भूमिका प्रभावी बन जाती है।

- पिछले 10 वर्षों से BJP को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है लेकिन राज्यसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है इसलिए राज्यसभा के द्वारा अनेक विधेयकों को रोका गया।

Scanned by CamScanner

• राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों का संशोधन करती है लेकिन दलीय कारणों से यह देखा जाता है कि राज्यसभा जानबूझ कर लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों को रोकने का प्रयास करती है उदाहरण के लिए-

- राजीव गांधी सरकार के द्वारा लोकसभा से 64वां संविधान संशोधन पारित कराया गया जिससे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जा सके। लेकिन कांग्रेस का राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो पाया।

- ठीक इसी प्रकार मोदी सरकार से आधार विधेयक पारित करवा दिया गया जिसे राज्यसभा में जानबूझ कर रोकने का प्रयास किया गया।

राज्यसभा Deadlock condition

(i) अस्वीकार कर दे।

(ii) पुनर्विचार के लिए वापस भेजे लेकिन राज्यसभा के संशोधन से लोकसभा सहमत नहीं है।

(iii) विधेयक पर 6 महीने तक विचार न करे।

सदन के बीच गतिरोध :-

• संविधान के किसी भी प्रावधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है क्योंकि इसका उल्लेख लोकसभा नियमों में किया गया है लेकिन दोनों सदनों के बीच गतिरोध का

Scanned by CamScanner

प्रावधान अनु० 108 में दिया गया है।

- विगत 75 वर्षों के संसदीय लोकतंत्र में केवल तीन ही अवसरों पर गतिरोध उत्पन्न हुआ है:-

(i) 1961 में दहेज विरोधी विधेयक पर।
(ii) 1978 में बैंकिंग सर्विसेज विधेयक पर।
(iii) 2002 में पोटा (PoTA) पर।

इससे यह प्रतीत होता है कि दोनों सदनों के बीच मतभेद और असहमति लोकतांत्रिक प्रक्रिया का भाग है। और गतिरोध इसलिए नकारात्मक है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप या तो विधेयक समाप्त हो जायेगा अथवा गतिरोध को हल करने के लिए संयुक्त बैठक का आयोजन किया जायेगा।

संयुक्त बैठक की स्थिति में राज्यसभा की भूमिका की अवहेलना हो जाती है। क्योंकि संयुक्त बैठक में विधेयक सामान्य बहुमत से पारित होता है और राज्यसभा की अवहेलना के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं-

(i) राज्यों की उपेक्षा हो जाती है।
(ii) बहुमतवाद प्रभावी होता है।
(iii) विधेयक में संशोधन की संभावना को समाप्त कर दिया जाता है।

Scanned by CamScanner

- संसदीय शासन के इतिहास में संसद की पहली संयुक्त बैठक ही वैचारिक और सैद्धांतिक कारकों से निर्धारित थी क्योंकि वर्ष 1961 में कांग्रेस का लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों में बहुमत था इसके बावजूद संसद की संयुक्त बैठक हुई जबकि 1978 और 2002 की संयुक्त बैठक इसलिए करनी पड़ी क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में अलग-अलग दलों को बहुमत प्राप्त था।
- वर्ष 1978 में जनता पार्टी का लोकसभा में बहुमत था जबकि राज्यसभा में कांग्रेस का बहुमत था और 2002 में किसी भी दल को लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत नहीं था।

निष्कर्ष :-

भारत के संसदीय शासन में न तो कोई उच्च सदन है न ही कोई निम्न सदन है और दोनों सदनों के बीच एकीकरण का प्रावधान किया गया है इसीलिए राज्यसभा का सभापति राज्यसभा, लोकसभा दोनों सदनों के सदस्यों से निर्वाचित होता है।

Scanned by CamScanner

राज्यसभा की विशेष भूमिका :-

- संसद में राज्यसभा और लोकसभा के कई कार्य समान हैं जिनमें विधि का निर्माण, संविधान संशोधन, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग और न्यायधीसों को अपने पद से हटाने में लोकसभा राज्यसभा की समान भूमिका है।

मंत्री किसी भी सदन से लिया जा सकता है। लेकिन राज्यसभाकी निम्नलिखित विशेष भूमिकाएँ भी हैं-

अनुच्छेद-249

- राज्यसभा अपने उपास्थित, मत देने वाले 2/3 बहुमत का संकल्प पारित करे।
- संसद राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण कर सकती है और इस विधि की अवधी एक वर्ष तक होगी।
- इसे एक-एक वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- विधि का प्रभाव 6: महीने तक बना रहेगा।

- भारत के संघीय शासन में शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची द्वारा किया गया है जिसके अनुसार संसद को संघ एवं समवर्ती सूची पर विधी निर्माण का अधिकार है, जबकि राज्यों को राज्यसूची के विषय पर विधि निर्माण का अधिकार है। लेकिन राज्य सभा के 2/3

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

Scanned by CamScanner

संकल्प के द्वारा राष्ट्रीय हित में संसद राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है अनु०-249

- अखिल भारतीय सेवा के निर्माण के पहल की शक्ति भी राज्यसभा को दी गई है। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करे (अनु० 312)।

- राज्यसभा के सभापति को हटाने का प्रस्ताव राज्य सभा से ही आरम्भ होगा जिससे लोकसभा सहमत हो।

(i) सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से

(ii) प्रभावी बहुमत

(iii) कुल सदस्य संख्या - रिक्तियाँ

245 - 5 = 240

[121] बहुमत

लोक सभा की विशेष शक्तियाँ -

Scanned by CamScanner